इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 03/07/2017 को मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण/नगर निगम/प्रशासन के द्वारा अतिक्रमणों के विरूद्ध चलाये जा रहे संयुक्त अभियान के क्रम में एग्रीकल्चर चौराहा से खान चौराहा (रीवा रोड) तक सड़क पटरियों के दोनो ओर, नाला, नाली के उपर से 03 बोर्ड,05 भटठी, 03 रैम्प, 03 टीन सेड, 15 बांस–बल्ली से बनी दुकाने, 02 गुमटी, हटाया गया तथा अतिक्रमणकर्ताओं से रूपया 1000/– (एक हजार रूपये) का जुर्माना भी वसूला गया।

इस कार्यवाही में एडीए से विशेष कार्याधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय, क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/भवन निरीक्षक, अपर नगर मजिस्ट्रेट, करछना,सी0ओ0 नैनी,नगर निगम से जोनल अधिकारी नजूल विभाग के समस्त जिलेदार अतिक्रमण उन्मूलन के अतिरिक्त पुलिस/पी0ए0सी0 बल एवं एडीए प्रवर्तन दल मौजूद रहे।

इसी क्रम में दिनांक 03.07.2017 को इन्दिरा भवन में भूतल/अपर बेसमेन्ट में दुकानों के सामने किये गये अतिक्रमणों को हटाया गया जो निम्नवत है–

1. अपर बेसमेन्ट में दुकान संख्या बी–37 के सामने सीढ़ी के नीचे श्री अनवर द्वारा अतिक्रमण कर निर्मित मोबाइल रिपेयर की दुकान को खाली कराकर शटर आदि ध्वस्त कराते हुये अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।
2. दुकान संख्या बी–21 के सामने श्री वकील के द्वारा संचालित सम्राट टेलर की दुकान को खाली कराया गया।
3. अपर बेसमेन्ट में ही दक्षिण ओर दुकान संख्या–62 के सामने सीढ़ी के नीचे श्री सलीम टेलर के द्वारा अतिक्रमित कर बनायी गयी दुकान बन्द थी अगल बगल की दुकानदारो के माध्यम से उन्हे अवगत कराया गया कि दुकान को हटा कर प्राधिकरण को एक दिन में सूचित अन्यथा उसे ध्वस्त करा दिया जायेगा।
4. भूतल पर दुकान संख्या जी–45 के बगल श्रीमती शायदा बेगम द्वारा अतिक्रमित कर संचालित दुकान को उनके द्वारा स्वंय समान हटाते हुये एक दिन के अन्दर सम्पूर्ण भाग को खाली करने हेतु अनुरोध किया गया।

इसी तरह दुकान संख्या जी–8 की आवंटी श्रीमती नुशरत जहा,दुकान संख्या जी–15 के आवंटी श्री मलहोत्रा, दुकान संख्या जी–18 व जी–19 के आवंटी श्री मुरारी लाल मलहोत्रा तथा दुकान संख्या जी–20 व जी–21 के आवंटी श्रीमती अनीशा खातून के द्वारा आवंटित दुकानों को बढ़ाकर अतिक्रमण किया गया है। सभी दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण को स्वंय हटाना प्रारम्भ करते हुये तीन दिन के अन्दर सम्पूर्ण अतिक्रमण हटाने के अनुरोध पर उन्हे तीन दिन का समय दिया गया अतिक्रमणों के हटाने हेतु निरन्तर निगरानी रखीं जायेगी।

जोन संख्या–01 में जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में 02 चालान 02 नोटिस की कार्यवाही की गयी।

जोन संख्या–02 व 04 में जोनल अधिकारी/अपर सचिव श्री गुडाकेश शर्मा के नेतृत्व में 06 चालान की कार्यवाही की गयी।

जोन संख्या–03 व 06 में जोनल अधिकारी श्री सत,शुक्ला के नेतृत्व में 04 चालान 04 नोटिस निर्गत की गयी।

जोन संख्या–05 में जोनल अधिकारी श्री पी0एन0यादव के नेतृत्व में 05चालान निर्गत की गयी।

इस प्रकार कुल 17 चालान 02 नोटिस निर्गत की गयी।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/क्षेत्रीय भवन निरीक्षक एडीए प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

(पी0एन0यादव)
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद,

प्रतिलिपि : सम्पादक– समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

03.07.17

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क